न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर

पीठासीन अधिकारी :– श्री संजय कुमार आर.ए.एस.

मुकदमा संख्या :– 18/2025 अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट

प्रेमादेवी पुत्री सुरजाराम पत्नी पृथ्वीराज जाति नाई निवासी चौहिलावाली तहसील व जिला हनुमानगढ़।

–प्रार्थीया

बनाम

रामकुमार पुत्र सुरजाराम जाति नाई निवासी रावतसर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ

–अप्रार्थी

उपस्थितः– श्री बलवन्तराम छिम्पा वकील–प्रार्थी

श्री अशोक भादू, रविकुमार वकील–अप्रार्थी

निर्णय दिनांक– 30.4.2025

संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थीया द्वारा दिनांक 06.02.2025 को विरूद्ध अप्रार्थी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम जरिये वकील पेश किया गया कि प्रार्थीया के पिता सुरजाराम के नाम से चक 9 केडब्ल्यूडी के प.नं. 151/410(47) कि.नं. 11/2, 12, 20/2 की 0.709 है. भूमि अकेले के नाम व चक 9 केडब्ल्यूडी के दूसरे खाता के प.नं. 151/410(47) कि.नं. 13, 16 ता 19, 23 की 1.518 है. भूमि में से 47/60 हिस्सा, चक 18 डीडब्ल्यूडी के प.नं. 168/414(14) कि.नं. 9/2, 12/2, 13, 18, 23 की 1.176 है. भूमि अकेले के नाम, चक 18 डीडब्ल्यूडी के दूसरे खाता के प.नं. 168/414(14) कि.नं. 4 ता 7, 14 ता 16 की 1.771 है. भूमि से सुरजाराम के नाम दर्ज 2/3 हिस्सा में खातेदारी दर्ज है। प्रार्थीया के पिता सुरजाराम का स्वर्गवास हो चुका है जिसके जायज व कानुनी वारीसान प्रार्थीया व अप्रार्थी व दावा में अप्रार्थी 2 व 3 है इस प्रकार मृतक सुरजाराम के नाम की उक्त भुमि के प्रार्थीया व अप्रार्थी व दावा में प्रतिवादी सं. 2 व 3 ब हिस्सा बराबर के मुश्तर्का खातेदार काश्तकार हुऐ। अप्रार्थी बहुत ही होशियार व लालची किस्म का व्यक्ति है तथा वह प्रार्थीया का हक व हिस्सा खत्म करने की नियत से प्रार्थीया को धमकि देता है कि मैने राजस्व कर्मचारिया के साथ साठगांठ करके भुमि को अकेले नाम दर्ज करवाउगां जबकी उक्त भुमि मे प्रार्थीया का भी हक व हिस्सा है अगर राजस्व रिकार्ड में अप्रार्थी अपने अकेले के नाम भुमि को दर्ज करवाने में कामयाब होता है तो प्रार्थीया के खातेदारी अधिकारो पर विपरित असर पडता है तथा ना पुरा होने वाला नुकशान होता है जिसकी भरपाई किसी भी तरह से सम्भव नही है इसलिये प्रार्थीया अपने पिता के नाम की उक्त भुमि को प्रार्थीया अपने व अप्रार्थी व दावा में प्रतिवादी सं. 2 व 3 के नाम ब हिस्सा बराबर की घोषणा करवाने की अधिकारी है। प्रार्थीया के पिता के नाम की उक्त भुमि में प्रार्थीया 1/4 हक व हिस्सा की व अप्रार्थी रामकुमार 1/4 हक व हिस्सा का व दावा में प्रतिवादी स0 2 व 3 ब.हि.ब. 3/4 हक व हिस्सा के खातेदार काश्तकार है लेकिन भूमि अभी भी प्रार्थीया के मृतक पिता सुरजाराम के नाम से दर्ज है तथा अप्रार्थी साजबाज कर समस्त प्रार्थीया के पिता की भूमि को अकेले दर्ज करवाने की योजना

Signature Not Verified

Digitally Signed by Sanjay Kumar
Date: 2025.04.30 20:14:36
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
रावतसर

बना रहा है जिससे प्रार्थीया के अधिकारो पर विपरित असर पडता है तथा वह प्रार्थीया को दावा में प्रतिवादी सं. 2 व 3 को अपने हक व हिस्सा की भुनि में दखलअंदाजी व हस्तक्षेप करने की व भुमि से बेदखल करने की भी योजना बना रहा है इससे प्रार्थीया व दावा में प्रतिवादी स0 2 व 3 को ना पुरा होने वाला नुकशान होता है तथा अपने हक व हिस्सा की भूमि से वंचित होते है इसलिये प्रार्थीया अपने पिता की नाम की भूमि में अपना हक व हिस्सा घोषित करवाने की व अप्रार्थी के द्वारा किये जा रहे उक्त कृत्यों को रुकवाने के लिये उनके खिलाफ अस्थाई निषेधाज्ञा भी जारी करवाने की अधिकारी है। बाद इस्तकराक हक उक्त भुमि का अच्छी मे से अच्छी व माडी मे से माडी का खाता विभाजन भी प्रार्थीया करवाने की अधिकारी है। प्रार्थीया के पिता की नाम की उक्त भुमि को अप्रार्थी रामकुमार अपने नाम भूमि दर्ज करवा भुमि को रहन बैय एवं मुन्तकिल करने की ऐलानिया धमकी दे रहा है अगर वह अपने मकसद में कामयाब होता है तो और भी ज्यादा वाद विवाद बढेगा इसलिये प्रार्थीया अप्रार्थी के खिलाफ ऐसे कृत्यों को रुकवाने के लिये उनके खिलाफ अस्थाई निषेधाज्ञा भी जारी करवाने की अधिकारी है। प्रार्थीया ने अपने प्रार्थना पत्र के सथ दस्तावेजों की सूची मय दस्तावेज नकल जमाबन्दी 9 केडब्ल्यूडी बहक सुरजाराम, 18 डीडब्ल्यूडी बहक सुरजाराम, फोटोप्रति मृत्युप्रमाण पत्र सुरजाराम पेश किये।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी सं. 1 ने जरिये वकील श्री अशोक भादू, रविकुमार उपस्थित आकर दिनांक 06.03.2025 को जबाब प्रार्थना पत्र पेश किया। अपने जबाब में अप्रार्थी ने लिखा कि "प्रार्थना–पत्र की मद संख्या 1 में वर्णित अर्जीदावा श्रीमानजी के समक्ष प्रस्तुत किया जाना स्वीकार है, जिसमें प्रार्थीया के कामयाब होने की कोई उम्मीद नहीं है, जबकि अप्रार्थी के कामयाब होने की पुरी–पुरी उम्मीद है। मद संख्या 2 ता 4 स्वीकार है। मद संख्या 5 में वर्णित तथ्य कि प्रार्थीया व अप्रार्थीगण के पिता/पति का स्वर्गवास हो चुका है स्वीकार है, शेष कथन अस्वीकार है। प्रार्थना–पत्र की मद संख्या 4 में वर्णित कृषि चक 9 के.डब्लू.डी. के प0नं0 151/410 मु0नं0 47 की 0.709 है0 भूमि दिनांक 13.03.1996 व 27.12.1996 को, प0नं0 151/410 के मु0नं0 47 की 1.518 है0 में से 1.1891 है0 भूमि 19.09.1991 को, चक 18 डी.डब्लू.डी. के प0नं0 168/414 के मु0नं0 14 की 1.176 है0 भूमि दिनांक 03.07.2000 व 26.05.2001 को, प0नं0 168/414 के मु0नं0 14 की 1.771 है0 भूमि में 2/3 हिस्सा दिनांक 10.04.2003 को भिन्न–भिन्न अवसर पर अप्रार्थी व अप्रार्थी के पिता की आय से खरीद की है, जिस कारण उक्त कृषि भूमि उनकी स्वयं अर्जित भूमि थी तथा उन्होने अपने जीवनकाल में ही उक्त सम्पूर्ण कृषि भूमि अप्रार्थी [illegible] थी तथा उक्त सम्पूर्ण कृषि भूमि अप्रार्थी के कब्जा काश्त में है तथा अप्रार्थी [illegible] में ही वसीयत कर दी थी। प्रार्थीया को वसीयत [illegible] तथ्यों को छुपाते हुए केवल मनगढ़त तथ्यों के आधार पर अप्रार्थी के पक्ष में वर[illegible] के नामान्तरण को

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Kumar
Date: 2025.04.30 20:11:36 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
[illegible]

रूकवाने के लिए उक्त प्रार्थना–पत्र व वाद–पत्र श्रीमान जी के समक्ष प्रस्तुत किया है। प्रार्थना–पत्र की मद संख्या 6 कतई अस्वीकार है। अप्रार्थी के पिता ने प्रार्थीया का विवाह अपनी हेसियत से बढ़कर दान दहेज से अपने समस्त कर्तव्य को निभाते हुए सम्पन्न किया था तथा अपने अन्तीम समय तक अपने पिता धर्म को बखुबी निभाया है तथा प्रार्थीया के विवाह के पश्चात अप्रार्थी तथा अप्रार्थी के पिता ने अपनी आय से भिन्न–भिन्न समय पर अप्रार्थी के पिता के नाम से उक्त कृषि भूमि खरीद की, जिस कारण वह उनकी स्वयं अर्जित सम्पति है तथा अप्रार्थी के पिता सुरजाराम ने अपने जीवनकाल में अप्रार्थी के साथ प्रेम स्नेह तथा सेवा चाकरी से प्रश्न होकर अपनी स्वयं अर्जित कृषि भूमि की वसीयत अप्रार्थी के पक्ष में कर दी तथा अप्रार्थी द्वारा वसीयत के आधार पर नामान्तरण दर्ज करने हेतु तहसीलदार महोदय रावतसर के समक्ष प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया, जिस पर हल्का पटवारी से तहसीलदार महोदय रावतसर ने जांच रिपोर्ट चाही, जिसमें हल्का पटवारी द्वारा उपरोक्त कृषि भूमि अप्रार्थी के पिता की खरीदशुदा भूमि होने से स्वयं अर्जित कृषि भूमि होने की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। अप्रार्थी ने प्रार्थीया को किसी प्रकार की धमकी नहीं दी तथा प्रार्थीया को उक्त वसीयत का भली भांति ज्ञान है क्योंकि प्रार्थीया ने वसीयत के नामान्तरण को रूकवाने के लिए तहसीलदार राजस्व रावतसर के समक्ष आपति प्रार्थना–पत्र दिनांक 24.01.2025 को प्रस्तुत किया है, उक्त सभी तथ्यो को छुपाते हुए प्रार्थीया ने उक्त प्रार्थना–पत्र व वाद–पत्र श्रीमान जी के समक्ष प्रस्तुत किया है, जिस कारण प्रार्थीया स्वच्छचित से माननीय न्यायालय में नहीं आई है। इसलिए प्रार्थीया अप्रार्थी की कृषि भूमि में किसी भी प्रकार के हिस्से की घोषणा करवा पाने की अधिकारी नहीं है। प्रार्थना–पत्र की मद संख्या 7 अस्वीकार है। प्रार्थना–पत्र की मद संख्या 4 में दर्ज भूमि अप्रार्थी के पिता की स्वयं अर्जित कृषि भूमि थी तथा उनको अपनी स्वयं अर्जित सम्पति को अप्रार्थी के पक्ष में वसीयत करने का पूर्ण अधिकार हासिल था, इसलिए उन्होनें अपने जीवनकाल में ही अपनी स्वयं अर्जित कृषि भूमि की वसीयत अप्रार्थी के पक्ष में कर दी तथा सम्पूर्ण कृषि भूमि कब्जा अप्रार्थी को सौंप दिया था तथा आज भी उक्त कृषि भूमि अप्रार्थी के कब्जा काश्त में है तथा उक्त वसीयत के आधार पर अप्रार्थी ने तहसीलदार राजस्व रावतसर के समक्ष उक्त वसीयत के आधार पर अपना नाम राजस्व रिकॉर्ड में अंकन हेतु आवेदन किया है, जिसके पश्चात प्रार्थीया ने अपनी आपति प्रस्तुत की, जिसकी सुनवाई का अधिकार तहसीलदार राजस्व रातवसर को है, लेकिन प्रार्थीया ने उक्त सभी तथ्यों को छुपाते हुए मनगढ़त तथ्यों के आधार माननीय न्यायालय से स्थगन प्राप्त किया है। इसलिए प्रार्थीया अप्रार्थी के विरूद्ध किसी भी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने की अधिकारी नहीं है। प्रार्थना–पत्र की मद संख्या 8 अस्वीकार है। प्रार्थना–पत्र की मद संख्या 4 में दर्ज भूमि अप्रार्थी के पिता की खरीदशुदा भूमि होने से उनकी स्वयं अर्जित कृषि भूमि तथा उनकी स्वयं अर्जित कृषि भूमि होने के कारण उन्होनें अपने जीवनकाल में ही अप्रार्थी के पक्ष में वसीयत करवा

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Kumar
Date: 2025.04.30 20:41:36 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं
अधिकारी
रावतसर

दी थी तथा कब्जा काश्त करवा दिया था तथा अप्रार्थी ने उक्त वसीयत के आधार पर उक्त कृषि भूमि को अप्रार्थी के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करने हेतु आवेदन तहसीलदार राजस्व के समक्ष प्रस्तुत कर रखा है तथा सुनवाई के दौरान प्रार्थीया ने उक्त आवेदन–पत्र में आपति दर्ज करवाई। उक्त सभी तथ्यों को छुपाते हुए तथा अप्रार्थी को हैरान परेशान करने के लिए उक्त प्रार्थना–पत्र व वाद–पत्र मनगढ़त तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत किया है। इस कारण प्रार्थीया उक्त कृषि भूमि का किसी भी प्रकार से इस्तकराक हक का खाता विभाजन करवा पाने की अधिकारी नहीं है। प्रार्थना–पत्र की मद संख्या 9 अस्वीकार है। अप्रार्थी ने प्रार्थीया को किसी भी प्रकार की कोई धमकिया नहीं दी है तथा अप्रार्थी के पिता ने अपनी स्वयं अर्जित कृषि भूमि की वसीयत अप्रार्थी के पक्ष में करवाई है, जिसका उन्हें पूर्ण अधिकार हासिल था। इसलिए प्रार्थीया अप्रार्थी के विरूद्ध किसी भी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने की अधिकारी नहीं है। मद संख्या 10 अस्वीकार है। अप्रार्थी के पिता अपने अधिकारों के प्रति पूर्ण सजग व जागरूक व्यक्ति थे तथा उन्होने अपने जीवनकाल में ही अपनी खरीदशुदा स्वयं अर्जित उपरोक्त कृषि भूमि की वसीयत अप्रार्थी के पक्ष में करवा दी थी तथा कब्जा काश्त भी अप्रार्थी का करवा दिया था ताकि उनके स्वर्गवास के पश्चात किसी भी प्रकार का वाद विवाद नहीं रहे। इसलिए प्रर्थम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन व अपूर्णीय क्षति का सिद्धान्त प्रार्थीया के पक्ष में नहीं होकर अप्रार्थी के पक्ष में है।'' इस प्रकार जबाब पेश कर अप्रार्थी ने प्रार्थना पत्र प्रार्थीया खारिज किये जाने का निवेदन किया। वकील प्रार्थीया ने दस्तावेजों की सूची मय दस्तावेज फोटोप्रति वसीयत दिनांक 03.10.2023, फोटोप्रति मृत्युप्रमाण पत्र सुरजाराम, बैयनामों की फोटोप्रतियां, आपति प्रार्थना पत्र प्रार्थीया, फोटोप्रति रिपोर्ट पटवारी हल्का पेश किये।

वकुलाए फरिकैन की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीया ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अकिंत तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थीया के पिता सुरजाराम के नाम से प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि खातेदारी दर्ज है। प्रार्थीया के पिता सुरजाराम का स्वर्गवास हो चुका है जिसके जायज व कानुनी वारीसान प्रार्थीया व अप्रार्थी व दावा में अप्रार्थी 2 व 3 है इस प्रकार मृतक सुरजाराम के नाम की उक्त भुमि के प्रार्थीया व अप्रार्थी व दावा में प्रतिवादी सं. 2 व 3 ब हिस्सा बराबर के मुश्तर्का खातेदार काश्तकार हुऐ। अप्रार्थी बहुत ही होशियार व लालची किस्म का व्यक्ति है तथा वह प्रार्थीया का हक व हिस्सा खत्म करने की नियत से राजस्व कर्मचारिया के साथ साठगांठ करके भूमि को अकेले नाम दर्ज करवाना चाहता है। अगर राजस्व रिकार्ड में अप्रार्थी अपने अकेले के नाम भुमि को दर्ज करवाने में कामयाब होता है तो प्रार्थीया के [illegible] पर विपरीत असर पडता है तथा ना पुरा होने वाला नुकशान होता है जिसकी भरपाई किसी भी तरह से सम्भव नही है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Kumar
Date: 2025.04.30 20:11:36 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
रावतसर

दूसरी तरफ वकील अप्रार्थी ने अपनी बहस में जबाब के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थीया व अप्रार्थीगण के पिता/पति का स्वर्गवास हो चुका है। वादग्रस्त भूमि भिन्न–भिन्न अवसर पर अप्रार्थी व अप्रार्थी के पिता की आय से खरीद की है, जिस कारण उक्त कृषि भूमि उनकी स्वयं अर्जित भूमि थी तथा उन्होने अपने जीवनकाल में ही उक्त सम्पूर्ण कृषि भूमि अप्रार्थी को दे दी थी तथा उक्त सम्पूर्ण कृषि भूमि अप्रार्थी के कब्जा काश्त में है तथा अप्रार्थी के पक्ष में अपने जीवनकाल में ही वसीयत कर दी थी। प्रार्थीया को वसीयत की जानकारी होते हुए उक्त तथ्यों को छुपाते हुए केवल मनगढ़त तथ्यों के आधार पर अप्रार्थी के पक्ष में वसीयत के नामान्तरण को रूकवाने के लिए उक्त प्रार्थना–पत्र व वाद–पत्र श्रीमान जी के समक्ष प्रस्तुत किया है।

अप्रार्थी के पिता सुरजाराम ने अपने जीवनकाल में अप्रार्थी के साथ प्रेम स्नेह तथा सेवा चाकरी से प्रश्न होकर अपनी स्वयं अर्जित कृषि भूमि की वसीयत अप्रार्थी के पक्ष में कर दी तथा अप्रार्थी द्वारा वसीयत के आधार पर नामान्तरण दर्ज करने हेतु तहसीलदार महोदय रावतसर के समक्ष प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया, जिस पर हल्का पटवारी से तहसीलदार महोदय रावतसर ने जांच रिपोर्ट चाही, जिसमें हल्का पटवारी द्वारा उपरोक्त कृषि भूमि अप्रार्थी के पिता की खरीदशुदा भूमि होने से स्वयं अर्जित कृषि भूमि होने की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। अप्रार्थी ने प्रार्थीया को किसी प्रकार की धमकी नहीं दी तथा प्रार्थीया को उक्त वसीयत का भली भांति ज्ञान है क्योंकि प्रार्थीया ने वसीयत के नामान्तरण को रूकवाने के लिए तहसीलदार राजस्व रावतसर के समक्ष आपति प्रार्थना–पत्र दिनांक 24.01.2025 को प्रस्तुत किया है, उक्त सभी तथ्यो को छुपाते हुए प्रार्थीया ने उक्त प्रार्थना–पत्र व वाद–पत्र श्रीमान जी के समक्ष प्रस्तुत किया है, जिस कारण प्रार्थीया स्वच्छचित से माननीय न्यायालय में नहीं आई है। इसलिए प्रार्थीया अप्रार्थी की कृषि भूमि में किसी भी प्रकार के हिस्से की घोषणा करवा पाने की अधिकारी नहीं है। इसलिए प्रर्थम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन व अपूर्णीय क्षति का सिद्धान्त प्रार्थीया के पक्ष में नहीं होकर अप्रार्थी के पक्ष में है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीया खारिज फरमाया जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड व वकुलाए फरिकैन की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थीया व अप्रार्थी के पिता सुरजाराम के नाम की खातेदारी भूमि थी। वाद भूमि सुरजाराम की स्वयं की खरीदशुदा कृषि भूमि थी जो सुरजाराम की स्वअर्जित भूमि थी। सुरजाराम ने अपने जीवनकाल में एक वसीयत अप्रार्थी के पक्ष में दिनांक 03.10.2023 को निष्पादित करवाई थी। वसीयत के आधार पर नामा[illegible] करवाने हेतु अप्रार्थी द्वारा तहसीलदार रावतसर के न्यायाल[illegible] जिसमें प्रार्थीया द्वारा आपति प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया [illegible] का निर्धारण तहसीलदार रावतसर के न्यायालय में होना है। इसलिये प्रथम दृष्टया म[illegible], साम्य न्याय का सिद्धान्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Kumar
Date: 2025.04.30 20:11:36 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
रावतसर

व सुविधा का सन्तुलन प्रार्थीया के पक्ष में ना होकर अप्रार्थी के पक्ष में है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर इस न्यायालय द्वारा दिनांक 06.02.2025 को जारी अस्थाई निषेधाज्ञा "चक 9 केडब्ल्यूडी के प.नं. 151/410(47) कि.नं. 11/2, 12, 20/2 की 0.709 है., चक 9 केडब्ल्यूडी के दूसरे खाता के प.नं. 151/410(47) कि.नं. 13, 16 ता 19, 23 की 1.518 है. भूमि में से सुरजाराम के नाम दर्ज 47/60 हिस्सा, चक 18 डीडब्ल्यूडी के प.नं. 168/414(14) कि.नं. 9/2, 12/2, 13, 18, 23 की 1.176 है., चक 18 डीडब्ल्यूडी के दूसरे खाता के प.नं. 168/414(14) कि.नं. 4 ता 7, 14 ता 16 की 1.771 है. भूमि से सुरजाराम के नाम दर्ज 2/3 हिस्सा भूमि की अप्रार्थी रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें तथा प्रार्थीया को बेदखल करने एवं रहन बैय करने से निषेद्ध रहें।" खारिज की जाती है। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे ईजलास आज दिनांक 30.4.2025 को सुनाया गया।

(संजय कुमार)
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर
उपखण्ड अधिकारी
रावतसर

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanjay Kumar
Date: 2025.04.30 20:11:36 IST
Reason: SelfAttested